

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

कौशल किशोर, बि०शि०से०,
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।



सारण-841301

मोबाईल नम्बर-+918544411907

E-mail:-deosaran.edn@gmail.com

पत्रांक 1854/..... सारण, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022

प्रखण्ड (बी.आर.सी) स्तर पर निर्धारित स्पोर्ट्स सामग्री को कैम्प लगाकर उपलब्ध कराने हेतु आपूर्तिकर्ता को अधिसूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक VE/01/2018-19/Part ii/ 760 दिनांक 10.12.2022 के आलोक में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन मद की राशि से प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित न्यूनतम अहर्ता के अनुसार कैम्प लगाने हेतु दिनांक 23.12.2022 को अपराह्न 4 बजे तक प्रस्ताव की माँग की जाती है ताकि संबंधित विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सकें :-

सामग्रियों की आपूर्ति हेतु प्रस्तावक फर्म की अहर्ता का विवरण

क्रम संख्या	न्यूनतम अहर्ता	दस्तावेज, जो जिला कार्यालय - बिहार शिक्षा परियोजना, सारण में हाथों-हाथ जमा किया जाना है।	अभियुक्ति
1	आपूर्तिकर्ता का गृहस एंड सर्विस टैक्स में निबंधन कम से कम पाँच वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है।	गृहस एंड सर्विस टैक्स पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति।	निर्धारित समयवाधि के बाद आये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
2	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर जिला में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन मद में कुल आवंटित मद/राशि का कम से कम दो गुणा से अधिक का होना अनिवार्य है।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी पिछले तीन वित्तीय वर्षों का वर्षवार यू.डी.आई.एन. नम्बर सहित विक्रय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट एवं बैलेंस शीट की छायाप्रति।	
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी वर्ष में जिला में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन मद में कुल आवंटित मद/राशि का कम से कम दस प्रतिशत तक की राशि का एकमुश्त स्पोर्ट्स आईटम आपूर्ति करने का अनुभव का होना अनिवार्य है। जो कि बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में आपूर्ति किया गया हो।	बिहार राज्य के किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी कार्य अनुभव पत्र की छाया प्रति।	
4	आपूर्तिकर्ता का वैध चरित्र प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होगा।	पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	
5	निर्धारित सामग्रियों का नमूना देना अनिवार्य होगा।	सभी प्रकार के विद्यालयों यथा प्रथमिक/मध्य/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग नमूना किट बैग में जमा कराना अनिवार्य होगा।	

15/12/22
संलग्न प्रभारी
व्यावसायिक शिक्षा, सारण।

15/12/22
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
EE & SSA सारण।

f. 9/12.22
जिला खेल पदाधिकारी
सारण।

15/12/22
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।

पत्रांक 1854/..... सारण, दिनांक 16/12/22

प्रतिलिपि : एम.आई.एस प्रभारी बिहार शिक्षा परियोजना, सारण को सूचनाार्थ एवं इसे बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर, सारण को सूचनाार्थ एवं इसे जिला के एन.आई.सी. बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनाार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना को सादर सूचनाार्थ समर्पित।

15/12/22

15/12/22
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।